न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम बिक्रमगंज।
नियमित जमानत आवेदन सं0–85/2026
आदेश

16.03.2026 यह नियमित जमानत आवेदन आवेदक अभियुक्त 1. बुद्धराज सिंह एवं 2. गुड्डु कुमार की ओर से दाखिल किया गया है, जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 126(2), 115(2), 109, 351(2), 352, 117(2), 3(5) के अधीन दर्ज दिनारा थाना कांड सं0 499/2025 में दिनांक 19.02.2026 से कारा में है। उक्त वाद वर्तमान में डॉ0 महादेव, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, बिक्रमगंज, रोहतास के न्यायालय में लंबित है। आवेदन की कॉपी विद्वान अपर लोक अभियोजक को दी गई है।

उक्त नियमित जमानत आवेदन पर आवेदक अभियुक्तों की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता श्री नरेन्द्र कुमार सिंह को सुना एवं अभियोजन की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री श्रीधन कुमार तिवारी को सुना।

अभियोजन का वाद संक्षेप में यह है कि दिनांक 17.11.2025 को समय 03.00 बजे को दिन में अपने पुत्र संतोष कुमार के साथ अपने निजी भूमि में सिंचाई का कार्य कर रहा था। उसी क्रम में अभियुक्तगण एकजुट होकर वहां आए तथा उनके साथ गाली–गलौज करते हुए लाठी, डंडा एवं लोहे की रॉड से सूचक एवं उसके पुत्र के साथ मारपीट करने लगे, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। उनका सिर फट गया। बीच–बचाव करने आए अन्य परिजनों के साथ भी अभियुक्तों ने मारपीट किया। सूचक के भतीजे उपेन्द्र कुमार का भी सिर फट गया था। सूचक की पत्नी का हाथ टूट गया। अभियुक्तों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी।

आवेदक अभियुक्तों की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता को सुना। आवेदक अभियुक्तों के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक अभियुक्तों की ओर से पूर्व में अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया था जिसे इस न्यायालय के द्वारा खारिज किया जा चुका है। आगे आवेदक अभियुक्तों के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक अभियुक्तगण निर्दोष है। उन्होंने कोई अपराध कारित नहीं किया है। उन्हें इस वाद में झूठा फंसाया गया है। आगे आवेदक अभियुक्तों के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक अभियुक्तों को इस वाद में द्वेष और गुप्त इरादे के कारण झूठा फंसाया गया है। आवेदक अभियुक्तों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक अभियुक्तगण दिनांक 19.02.2026 से कारा में है। अभियोजन का पूरा वाद झूठा और मनगढ़ंत है। उभय पक्षों के बीच वाद एवं प्रतिवाद है। उभय पक्ष आपस में गोतिया है। अतः आवेदक अभियुक्तों के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदक अभियुक्तों को जमानत पर मुक्त किए जाने की प्रार्थना की है।

अभियोजन की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक को सुना। उन्होंने आवेदक अभियुक्तों के अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया है तथा कहा है कि आवेदक अभियुक्तों ने जख्मियों के शरीर के मर्मस्थान पर जख्म कारित किया था। चिकित्सक ने चिकित्सकीय जांच के क्रम में जख्मी हरिशंकर के सिर पर 2 इंच x 1/2 x इंच x 1/4 का तेजधार हथियार का

लगातार
16.03.2026

जख्म पाया था। जख्मी उपेन्द्र कुमार के सिर पर भी 2 इंच x 1/2 इंच x 1/4 का तेजधार हथियार का जख्म पाया था तथा जख्मी लीलावती देवी एवं उपेन्द्र कुमार के जख्म को गंभीर प्रकृति का पाया गया था।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से यह पता चलता है कि यद्यपि आवेदक अभियुक्तों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथापि आवेदक अभियुक्तगण प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त है। आवेदक अभियुक्तों के विरुद्ध संगठित रूप से सूचक एवं उसके परिवार के सदस्यों को शरीर के मर्मस्थान सिर पर तेजधार हथियार से मारने का अभियोग है। चिकित्सक ने चिकित्सकीय जांच के क्रम में जख्मी हरिशंकर के सिर पर 2 इंच x 1/2 इंच x 1/4 का तेजधार हथियार का जख्म पाया था। जख्मी उपेन्द्र कुमार के सिर पर भी 2 इंच x 1/2 इंच x 1/4 का तेजधार हथियार का जख्म पाया था तथा जख्मी लीलावती देवी एवं उपेन्द्र कुमार के जख्म को गंभीर प्रकृति का पाया गया था। चिकित्सकीय साक्ष्य प्रथम दृष्टया अभियोजन के कथन का समर्थन करता है।

अतः एतस्मीनपूर्व वर्णित तथ्यों, वाद की परिस्थितियों एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक के कथनों पर विचार करने के पश्चात मैं आवेदक अभियुक्तों को जमानत पर मुक्त करना उचित नहीं समझता हूं, तद्नुसार आवेदक अभियुक्तों का जमानत आवेदन **अस्वीकृत** किया जाता है।

लेखापित

अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, बिक्रमगंज।